पत्रांक   /आयु0क0/उत्तरा0/धारा–57/वा0कर/2009–10/दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57, अनुभाग)
दिनांक:: देहरादून::23 नवम्बर 2009,

प्रार्थना पत्र सं0 – 3029/दिनांक 16.7.09
सर्वश्री क्लोबर औरगैनिक प्रा0लि0,
35–गांधी रोड देहरादून।
निर्णय का दिनांक– नवम्बर 2009,
फर्म की ओर से उपस्थित– संजय अग्रवाल सी.ई.ओ.फर्म, श्री के.एन.शर्मा अधिवक्ता ।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय।

सर्वश्री क्लोबर औरगैनिक प्रा0लि0, 35–गांधी रोड देहरादून द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रेषित करते हुए उनके द्वारा उत्पादित किये जाने वाले उत्पाद ''NatureVel –AG, NatureVel-AH, NatureVel-AQ'' पर लागू करदेयता के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया है।

2– विभागीय मत ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून द्वारा उपलब्ध कराते हुए स्पष्ट किया गया है कि व्यापारी द्वारा जिन वस्तुओं पर करदेयता के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है वह मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची 2 (ख) के कमांक 27 पर अंकित प्रविष्टि के अनुसार 4 प्रतिशत की दर से करयोग्य है तथा फर्म द्वारा भी उक्त दर से कर जमा किया जा रहा है।

3– फर्म की ओर से सुनवाई हेतु श्री संजय अग्रवाल सी.ई.ओ. फर्म तथा श्री के.एन.शर्मा अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुये तथा प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण दिया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुऐं Bio-Fertilizer, plant growth promoter, natural insecticide and pesticide जिसमें किसी कैमिकल्स का इस्तेमाल नही किया जाता है।

4– मेरे द्वारा फर्म द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र तथा सुनवाई के समय दाखिल स्पष्टीकरण एवं विभागीय मत का अवलोकन किया गया । उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची –1 के कमांक 42 पर ''जैव खाद, जैव सूक्ष्म बलवर्द्धक एवं वनस्पति उपज प्रवर्धक/नियंत्रक तथा उनके शाकनाशी, कृतंकनाशी, कीटनाशी, अपतृणनाशी तथा नाशकजीव मार'' को रखते हुये इसे करमुक्त धोषित किया गया है तथा अनुसूची–2 (ख) के कमांक 27 पर ''रासायनिक खाद, बायो–फर्टिलाईजर, सूक्ष्म बलवर्द्धक तथा वनस्पति उपज प्रवर्धक, नियत्रंक तथा उनके शाकनाशी, कृतंकनाशी, कीटनाशी, अपतृणनाशी तथा नाशकजीव मार'' को रखते हुये 4 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है। व्यापारी द्वारा जिन वस्तुओं पर करदेयता के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है वह स्पष्टतया अनुसूची –1 के कमांक 42 पर अंकित प्रविष्टियों में सम्मिलित नही है। फर्म द्वारा जो लिखित स्पष्टीकरण दिया गया है उसमें इन उत्पादों के द्वारा उपजों पर किये जा रहे विभिन्न प्रयोगों तथा उनके परिणामों का वर्णन किया गया है। उक्त प्रश्नगत वस्तुओं पर व्यापारी द्वारा इन्हें मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–2 (ख) के कमांक 27 पर अंकित प्रविष्टि से आच्छादित मानते हुये स्वंय ही 4 प्रतिशत की दर से करदेयता स्वीकार की जा रही है।

इस प्रकार व्यापारी द्वारा जिन वस्तुओं की करदेयता के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है उन्हें उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–2 (ख) के कमांक 27 पर अंकित प्रविष्टि से आच्छादित न मानने का कोई कारण उपलब्ध नही है। इस प्रकार व्यापारी द्वारा पूछे

...2

गये प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा संम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजा जाय।

भवदीय

(वी0के0सक्सेना)
एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।

पृ0प0सं0 3599/दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. श्री श्रवण कुमार जैन अध्यक्ष व्यापार सभा(रजि0)मुखर्जी मार्ग ऋषिकेश।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून।
3. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमॉऊ जोन रूद्रपुर।
4. एडिशनल कमिश्नर,(आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून ।
5. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/ हरिद्वार/ काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एशोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
6. ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी ।
7. ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0 /परिवर्तन) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर ।
8. बरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की बेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
9. पोर्टल प्रबन्धक उत्तरा पोर्टल नेशनल इनफारमेटिक सेन्टर 4–सुभाष रोड दे0दून।
10. संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वार प्रेषित कर दें।
11. नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड़ गाजियाबाद।
12. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राज नगर गाजियाबाद।
13. लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर गाजियाबाद।
14. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु ।
15. विधि–अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

23.11.09

एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।